

# भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर डॉ. बी. आर. अंबेडकर के विचार

SUSHEELA DEVI YADAV

ASSISTANT PROFESSOR, POLITICAL SCIENCE, V.N.P. GOVT. COLLEGE, SIWANA, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

सार

- डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर जो कि बाबासाहेब अंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) के नाम से लोकप्रिय थे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे।
- डॉ. अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद्, बहु-भाषाविद्, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया।
- उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति (Hindu Mahar Caste) में हुआ था। उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा "अछूत" के रूप में देखा जाता था।

परिचय

- बाबासाहेब अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[1]
- इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मज़बूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था।
  - अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है।
  - उन्होंने एक मज़बूत केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबावों से कम प्रभावित होती है, इसलिये वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।
  - उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यक जो कि राष्ट्र का सबसे कमज़ोर समूह है, राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो सकता है। इसलिये 'वन मैन वन वोट' का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है और अल्पसंख्यक को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिये। वह 'मेजरिटेरियनिज़म सिंड्रोम' (Majoritarianism Syndrome) के खिलाफ थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिये संविधान में कई सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये।
- भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया है। बाबासाहेब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिये ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। इससे पता चलता है कि वह जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

### संवैधानिक नैतिकता

- बाबासाहेब अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों और प्रशासनिक सहयोग के बीच प्रभावी समन्वय होगा।
- उनके अनुसार, भारत को जहाँ समाज में जाति, धर्म, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित किया गया है, एक सामान्य नैतिक विस्तार की आवश्यकता है तथा संविधान उस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

### लोकतंत्र

- उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जो तानाशाही त्वरित परिणाम दे सकती है वह सरकार का मान्य रूप नहीं हो सकती है। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि यह स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया, जो कि अन्य देशों के मार्गदर्शकों के साथ संरक्षित होता है।
- उन्होंने 'लोकतंत्र को जीवन पद्धति' के रूप में महत्त्व दिया, अर्थात् लोकतंत्र का महत्त्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है।
- इसके लिये लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी 'एक आदमी, एक वोट' की विचारधारा गायब हो जाएगी। केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से उत्पन्न हो सकती है, इसलिये जब तक भारतीय समाज में जाति की बाधाएँ मौजूद रहेंगी, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिये उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिये लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया।
- सामाजिक आयाम के साथ-साथ अंबेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया। वे उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र से प्रभावित थे तथा उन्होंने इसे भी सीमित पाया। उनके अनुसार, संसदीय लोकतंत्र ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को नज़रअंदाज किया। यह केवल स्वतंत्रता पर केंद्रित होती है, जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना ज़रूरी है।

### समाज सुधार

- बाबा साहेब ने अपना जीवन समाज से छूआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिये समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया।
- उनके लिये अस्पृश्यता पूरे हिंदू समाज की गुलामी (Slavery) है जबकि अछूतों को हिंदू जातियों द्वारा गुलाम बनाया जाता है, हिंदू जाति स्वयं धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रहते हैं। इसलिये अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ले जाती है। [2,3,4]
- सामाजिक सुधार की प्राथमिकता:
  - उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिये।
  - यह विचार कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी, यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसलिये सामाजिक सुधार के लिये जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है।
  - सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हटाना शामिल था। यह महिलाओं के सशक्तीकरण का पुरजोर समर्थन करता है। यह महिलाओं के लिये संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करता है जिसे उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हल किया था।
- जाति:
  - जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को स्थिर बना दिया है जो बाहरी लोगों के साथ एकीकरण में बाधा पैदा करता है। जाति व्यवस्था निम्न जातियों की समृद्धि के मार्ग में बाधक है जिसके कारण नैतिक पतन हुआ। इस प्रकार अस्पृश्यता को समाप्त करने की लड़ाई मानव अधिकारों और न्याय के लिये लड़ाई बन जाती है।

तथ्य पत्र

- वर्ष 1923 में उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा (आउटकास्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन)' की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिये समर्पित थी।
- वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- डॉ. अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों (1930-32) में भाग लिया और सशक्त रूप से 'अछूत' के हित में अपने विचार व्यक्त किये।
- वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते (Poona Pact) पर हस्ताक्षर किये, जिसके परिणामस्वरूप वंचित वर्गों के लिये अलग निर्वाचक मंडल (सांप्रदायिक पंचाट) के विचार को त्याग दिया गया। हालाँकि दलित वर्गों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई।
- वर्ष 1936 में बाबासाहेब अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी (Independent Labour Party) की स्थापना की।
- वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाज़ीवाद को हराने के लिये भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान किया।
- 14 अक्टूबर, 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य 'बुद्ध एंड हिज़ धर्म' (Buddha and His Dharma) पूरा किया।
- वर्ष 1990 में डॉ. बी. आर. अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 14 अप्रैल, 1990 से 14 अप्रैल, 1991 की अवधि को बाबासाहेब की याद में 'सामाजिक न्याय के वर्ष' के रूप में मनाया गया।[5,6,7]
- भारत सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के तत्वावधान में 24 मार्च, 1992 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act), 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।
  - फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जनता तक पहुँचाने के लिये कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन की देखरेख करना है।
- डॉ. अंबेडकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ: समाचार पत्र मूकनायक (1920), एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1936), द अनटचेबल्स (1948), बुद्ध और कार्ल मार्क्स (1956) इत्यादि।

अस्पृश्यता को दूर करने के लिये अपनाए गए तरीके

- उनके मन को प्रभावित करने वाले मलिनता संबंधी मिथक को हटाकर अछूतों में आत्मसम्मान पैदा करना।
- शिक्षा:
  - बाबासाहेब के लिये ज्ञान मुक्ति का एक मार्ग है। अछूतों के पतन का एक कारण यह था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया था। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिये अंग्रेज़ों की आलोचना की। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया।
- आर्थिक प्रगति:
  - वह चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के बंधन से मुक्त हों। वह चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त करें और एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगीकरण का लाभ उठाने के लिये शहरों की ओर रुख करें। उन्होंने गाँवों को 'स्थानीयता का एक सिंक, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का एक खंड' के रूप में वर्णित किया।
- राजनीतिक ताकत:
  - वह चाहते थे कि अछूत खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करें। राजनीतिक शक्ति के साथ अछूत अपनी रक्षा, सुरक्षा और मुक्ति संबंधी नीतियों को पेश करने में सक्षम होंगे।

■ रूपांतरण:

- जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर-तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। उनके लिये बौद्ध धर्म मानवतावाद पर आधारित था और समानता एवं बंधुत्व की भावना में विश्वास करता था।
- "मैं अपने जन्म के धर्म को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मुझे एक नीच के रूप में मानता है।"
- इसलिये सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्म-विश्वास और रूपांतरण ने अस्पृश्यता को समाप्त करने का एक समग्र कार्यक्रम तैयार किया।

वर्तमान समय में अंबेडकर की प्रासंगिकता

- भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया है, किंतु सामाजिक आयामों (स्वास्थ्य और शिक्षा) तथा आर्थिक आयामों का अभी भी अभाव है।
- सांप्रदायिक धुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ है। यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अंबेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिये धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिये।
- इतिहासकार आर.सी. गुहा के अनुसार, डॉ. बी.आर. अंबेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनुठा उदाहरण हैं। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैगिंग असमानता आदि जैसी कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अंबेडकर की भावना को खोजने की ज़रूरत है, ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें। [8,9,10]

विचार-विमर्श

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ने सामाजिक न्याय के लिए एक मुख्य नेतृत्वकर्ता एवं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में उनके भविष्य की आधारशिला रखी।

उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को, मध्य प्रदेश के महु में, महार जाति में हुआ था। परंपरागत रूप से निम्न ग्रामीण सेवकों वाली जाति में जन्म लेने के कारण, उनको अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बचपन में सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने उनमें जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का गहरा संकल्प पैदा कर दिया।

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की शैक्षणिक यात्रा मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से प्रारम्भ हुई, जहाँ वे पहले दलित छात्रों में से एक थे। भेदभाव का सामना करने के बावजूद, उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज से न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय तक ले गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय उनके जीवन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ, वहाँ उन्होंने समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के कार्यों के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों से अवगत हुए, जो बाद में उनके दृष्टिकोण का आधार बन गए।

वर्ष 1916 में, डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) में अपनी पढ़ाई जारी रखने और ग्रेज इन (Gray's Inn) में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के द्वारा दलित अधिकारों की वकालत

विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात्, डॉ. बी.आर. अंबेडकर वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में भारत लौट आए। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय भीमराव रामजी को जाति भेदभाव के उन्मूलन और हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष की राह पर ले गया।

बाबासाहेब का मानना था कि केवल पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इसलिए, उन्होंने अपने समाचार पत्रों, सामाजिक-सांस्कृतिक मंचों और सम्मेलनों के माध्यम से अछूतों को संगठित करना शुरू किया।

1924 में, डॉ. भीमराव रामजी ने दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारी सभा (बहिष्कृतों के कल्याण के लिए समाज) की स्थापना की। उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज देने के लिए “मूकनायक” (मूक के नेता), “बहिष्कृत भारत” (बहिष्कृत भारत) और “समता जनता” जैसे कई पत्रिकाएँ भी शुरू कीं।

बाबासाहेब अंबेडकर के नेतृत्व में किए गए पहले प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में से एक 1927 का महाड़ सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक कुएं से जल का उपयोग करने के दलितों के अधिकारों को स्थापित करना था। इसी तरह, 1930 के कलाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित करना था।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के द्वारा संघर्ष के लिए अपनाया गया मार्ग

सामाजिक सुधार के लिए कानूनी मार्गों के महत्त्व को पहचानते हुए, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। बाबासाहेब के प्रयासों का परिणाम 1932 के पूना पैक्ट के रूप में सामने आया, जिसने आम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का राजनीतिक जीवन

कई दशकों तक विस्तृत, डॉ. बी.आर. अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा विधायक, पार्टी नेता, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जैसी भूमिकाओं से भरी रही हैं।

प्रारंभिक राजनीतिक व्यस्तताएँ

औपचारिक राजनीति में अपने पहले महत्त्वपूर्ण प्रयास के रूप में, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने वर्ष 1936 में दलितों और मजदूर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने 1937 के बॉम्बे प्रेसीडेंसी चुनावों में चुनाव लड़ा और कुछ सफलता भी प्राप्त की, जिसने बाबासाहेब को एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया।

दलितों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक केंद्रित राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता को पहचानते हुए, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। संघ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दलितों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना था, हालाँकि इसने राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष किया।

भारतीय संविधान का निर्माण

भारतीय राजनीति में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की सबसे स्थायी विरासत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका है, जो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि दस्तावेज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हों। अस्पृश्यता के उन्मूलन और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करना जातिगत भेदभाव और असमानता के खतरों से मुक्त स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।<sup>[11,12,13]</sup>

#### परिणाम

डॉ. बी.आर. अंबेडकर – वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री

1942-1946 के दौरान डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान, डॉ. भीमराव रामजी ने फैक्टरी अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1947 आदि सहित कई महत्त्वपूर्ण श्रम सुधारों को लागू किया और उनकी वकालत की।

उन्होंने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आधारशिला रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) के निर्माण का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जो क्रमशः चिकित्सा बीमा और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं।

स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री

1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्, डॉ. बी.आर. अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्षमता में, उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मामलों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध एवं सुधार करना था, तथा महिलाओं को व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार देना था। हालाँकि, बिल को संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका, जिसके कारण वर्ष 1951 में बाबासाहेब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

बाद की चुनावी राजनीति

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के बाद के राजनीतिक प्रयासों में नव स्वतंत्र भारत में चुनावों के माध्यम से संसद में प्रवेश करने के उनके प्रयास शामिल थे। हालाँकि, उन्हें अपने राजनीतिक जीवन के इस चरण में अधिक सफलता नहीं मिल सकी और उन्हें कई चुनावी हार का सामना करना पड़ा।

30 सितंबर 1956 को, बाबासाहेब ने अपने पूर्व संगठन अनुसूचित जाति संघ को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। हालाँकि, नई पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।

बौद्ध धर्म को अपनाना और उसके बाद के वर्ष

सामाजिक न्याय और समानता की अपनी खोज में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की बौद्ध धर्म में रुचि उनके करियर की शुरुआत में ही प्रारम्भ हो गई थी, उन्होंने विभिन्न दर्शनों और धर्मों का अध्ययन किया था। 1935 में, येवला (नासिक) में आयोजित एक प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि – “मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा”।

14 अक्टूबर 1956 को, डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने नागपुर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक समारोह में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका निर्णय केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक कार्य भी था, जिसका उद्देश्य हिंदू जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना था। इसके बाद डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लगाया।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दलितों के बीच बौद्ध धर्म में सामूहिक रूप से परिवर्तन का एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो आज भी जारी है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का भारतीय समाज में योगदान विशाल और विविध है, जो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनी विद्वान के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं: [14,15,16]

- भारतीय संविधान के निर्माता: उनका सबसे स्थायी योगदान भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की परिकल्पना: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की परिकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में, उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन (हिल्टन यंग कमीशन) के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का तर्क दिया।
  - उनके विचारों ने आयोग की सिफारिशों को बहुत प्रभावित किया, जिसने RBI अधिनियम 1934 का आधार निर्मित किया – वह क़ानून जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना की।
- जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष: अपने पूरे जीवन में उन्होंने दलितों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया, इस प्रकार उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया।

- सामाजिक सुधारक और शिक्षाविद्: शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को समझते हुए, बाबासाहेब ने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की और दलित समुदाय को जाति एवं सामाजिक असमानता की बेड़ियों को तोड़ने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- महिला अधिकारों के नेतृत्वकर्ता: डॉ. अंबेडकर महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने उन हिंदूगत कानूनों में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया, जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था।
- श्रमिक सुधार: आधिकारिक पद संभालने से पहले ही, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपने संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की। बाद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में, उन्होंने भारत में श्रम सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- राजनीतिक नेतृत्व: राजनीति में अपने प्रवेश के माध्यम से डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया।
- साहित्य और लेखन: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर एक विपुल लेखक थे, तथा कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक मुद्दों पर उनके कार्य अत्यधिक प्रभावशाली बने हुए हैं। उनकी पुस्तकें, जैसे “अस्पृश्यता का विनाश”, “शूद्र कौन थे?” एवं “बुद्ध और उनका धम्म”, दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित करती रहती हैं।

### डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत

अपने असंख्य योगदानों के माध्यम से, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने देश के सामाजिक- सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। वर्तमान भारत में, उनकी विरासत को विभिन्न स्मारकों, संस्थानों और कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया जाता है। उनकी विरासत के कुछ प्रमुख प्रतीक इस प्रकार देखे जा सकते हैं:

- अंबेडकर जयंती: डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन, उनके जीवन और कार्यों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- मूर्तियाँ और स्मारक: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की मूर्तियाँ पूरे भारत के शहरों और कस्बों में सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करती हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. अंबेडकर को समर्पित कई स्मारक, संग्रहालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं।
- राजनीति में प्रभाव: डॉ. अंबेडकर के विचार और सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और विचारधाराओं को आकार देते रहें हैं। कई राजनीतिक दल, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल, भीमराव रामजी अंबेडकर की विरासत को उनके उपदेशों को अपने राजनीतिक एजेंडों में शामिल करके श्रद्धांजलि देते हैं।
- आरक्षण नीतियाँ: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई की वकालत भारत की आरक्षण नीतियों में परिलक्षित होती है।
- साहित्य और कला: डॉ. अंबेडकर के जीवन और कार्य ने साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा के एक समृद्ध जगत को प्रेरित किया है। उनके बारे में कई किताबें, आत्मकथाएँ, कविताएँ और नाटक लिखे गए हैं।<sup>[17,18,19]</sup>
- जमीनी स्तर आंदोलन: भारत में दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय समानता और सम्मान के अपने संघर्ष में उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहें हैं। अंबेडकरवादी आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- शिक्षा और जागरूकता: डॉ. अंबेडकर के जीवन और विचारों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक संगठन उनके उपदेशों को प्रसारित करने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएँ और अध्ययन मंडल आयोजित करते हैं।
- शैक्षणिक संस्थान: बाबासाहेब के नाम पर देश भर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक बहुआयामी भारतीय प्रतीक थे, जिनका जीवन और कार्य देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। समाज के हाशिए से उठकर स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनने का उनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है।

## निष्कर्ष

बाबासाहेब भीमराव ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। उनमें से कुछ प्रमुख हैं – बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP), शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (SCF), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) आदि। बाबासाहेब अंबेडकर के दर्शन में सामाजिक न्याय, राजनीतिक सुधार और आर्थिक समानता सहित कई मुद्दे शामिल थे, जो लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित थे। डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रसिद्धि और स्थायी विरासत भारत में उनके बहुमुखी योगदान से उपजी है। हालाँकि, वह मुख्य रूप से भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। [20]

## संदर्भ

1. "BR Ambedkar's anniversary: His quotes on gender, politics and untouchability". 6 दिसंबर 2017. मूल से 23 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
2. ↑ "Rescuing Ambedkar from pure Dalitism: He would've been India's best Prime Minister". Firstpost. मूल से 25 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
3. ↑ "Do we really respect Dr Ambedkar or is it mere lip service?". DNA India. 6 दिसंबर 2014. मूल से 17 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
4. ↑ "Ambedkar in Modi's quiver, says Gandhis insulted father of Indian Constitution". Deccan Chronicle. 15 अप्रैल 2014. मूल से 16 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
5. ↑ "Home for Ambedkar 'house' - Maharashtra to buy UK bungalow where Dalit icon lived". www.telegraphindia.com. मूल से 5 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
6. ↑ Desk, FPJ Web (11 अप्रैल 2016). "Milestones achieved by Dr. Babasaheb Ambedkar". मूल से 6 अक्टूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
7. ↑ "Archives released by LSE reveal BR Ambedkar's time as a scholar". hindustantimes.com/. 9 फरवरी 2016. मूल से 23 जून 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
8. ↑ "Zee जानकारी : किसने रची थी डॉ॰ आम्बेडकर के बारे में भ्रम फैलाने की साजिश". Zee News Hindi. 15 अप्रैल 2016. मूल से 8 जनवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
9. ↑ [http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02est/12\\_6\\_2015\\_JCA-2-19032015.pdf](http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02est/12_6_2015_JCA-2-19032015.pdf) Archived 2015-04-05 at the वेबैक मशीन Ambedkar Jayanti from ccis.nic.in on 19th March 2015
10. ↑ Ghildiyal, Subodh (29 मई 2018). "Bhimrao Ambedkar cult spreading across world". मूल से 20 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 जुलाई 2019 – वाया The Economic Times.
11. ↑ "Bhim: Cult of Bhim spreading across world | India News - Times of India". The Times of India. मूल से 3 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 जुलाई 2019.
12. ↑ "यहां देखें भीमराव आंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य". प्रभात खबर. 6 दिसंबर 2020.
13. ↑ Jaffrelot, Christophe (2005). Dr. Ambedkar and Untouchability: Fighting the Indian Caste System. New York: Columbia University Press. पृ॰ 2. आई॰एस॰बी॰एन॰ 0-231-13602-1.
14. ↑ Pritchett, Frances. "In the 1890s" (PHP). मूल से 7 सितंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 अगस्त 2006.
15. ↑ Menon, Dilip M. "What's in a name?: Those who invoke Ambedkar are complicit in a forgetting, much like Gandhi". Scroll.in. मूल से 13 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
16. ↑ "Mahar". Encyclopædia Britannica. britannica.com. मूल से 30 नवम्बर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जनवरी 2012.
17. ↑ Ahuja, M. L. (2007). "Babasaheb Ambedkar". Eminent Indians : administrators and political thinkers. New Delhi: Rupa. पृ॰ 1922–1923. आई॰एस॰बी॰एन॰ 8129111071. मूल से 23 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 जुलाई 2013.
18. ↑ "आम्बेडकर गुरुजीचं कुटुंब जपतंय सामाजिक वसा, कुटुंबानं सांभाळल्या 'त्या' आठवणी". divyamarathi. 26 दिसंबर 2016. मूल से 28 मई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2019.
19. ↑ Pritchett, Frances. "In the 1900s" (PHP). मूल से 6 जनवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 जनवरी 2012.
20. ↑ Pritchett, Frances. "In the 1900s" (PHP). मूल से 6 जनवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 अगस्त 2006.